संख्या-283/2023/1677/22-2-2022-21(82)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार विस्वास पुत्र स्व0 राजेन्द्र वैद्य, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश/नदिया, पश्चिम बंगाल की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19077/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2022) दिनांक-14-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार विस्वास पुत्र स्व0 राजेन्द्र वैद्य, जो ग्राम-खुनुआ, थाना-शोहरतगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 का रहने वाला है, जेल रिपोर्ट में स्थायी पता-कुटीर पाडा, थाना-राजघाट, जनपद-नदिया, पश्चिम बंगाल अंकित है। पारिवारिक विवाद को लेकर दिनांक 19.04.2005 को बन्दी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा कर अपनी पत्नी अनिमा विश्वास की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 24.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2021 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2022 तक 16 वर्ष 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, रिहा होने पर पुन: अपराध कर सकने, जेल में और आगे निरूद्ध रखना आवश्यक प्रतीत होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पारिवारिक विवाद को लेकर दिनांक 19.04.2005 को बन्दी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा कर अपनी पत्नी अनिमा विश्वास की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार विस्वास पुत्र स्व0 राजेन्द्र वैद्य को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार विस्वास (बन्दी संख्या-22/2009) पुत्र स्व0 राजेन्द्र वैद्य, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश/नदिया, पश्चिम बंगाल को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-283/2023/1677(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश/नदिया, पश्चिम बंगाल।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित स्पेशल लीव टू अपील (क्रि) नं0-9258/2021 सुनील कुमार विस्वास बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के क्रम में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-283/2023/1677/22-2-2022-21(82)/2021

दिनांक 31 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार विस्वास पुत्र स्व0 राजेन्द्र वैद्य, जो ग्राम-खुनुआ, थाना-शोहरतगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 का रहने वाला है, जेल रिपोर्ट में स्थायी पता-कुटीर पाडा, थाना-राजघाट, जनपद-नदिया, पश्चिम बंगाल अंकित है। पारिवारिक विवाद को लेकर दिनांक 19.04.2005 को बन्दी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा कर अपनी पत्नी अनिमा विश्वास की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 24.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2021 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2022 तक 16 वर्ष 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, रिहा होने पर पुन: अपराध कर सकने, जेल में और आगे निरूद्ध रखना आवश्यक प्रतीत होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पारिवारिक विवाद को लेकर दिनांक 19.04.2005 को बन्दी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा कर अपनी पत्नी अनिमा विश्वास की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार विस्वास पुत्र स्व0 राजेन्द्र वैद्य को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।